संख्या–५१८/26–ब०प्र०–2010–2/3(32)/2010

प्रेषक,

भवनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अभियंता,
सम्बन्धित लघु सिंचाई खण्ड।

बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण   लखनऊ : दिनांक : 11 मई, 2010

विषय– चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में पठारी क्षेत्रों में लघु सिंचाई निर्माण कार्य योजना में एस0सी0एस0पी0 के कृषकों हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि का आवंटन (जिला योजना)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के पत्र संख्या–88/ल0सिं0/बजट–SCSP-TSP/2010–11, दिनांक 09–4–2010 एवं वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951 दस–2010–231/2010, दिनांक 26–3–2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में पठारी क्षेत्रों में लघु सिंचाई निर्माण कार्य योजना के अन्तर्गत एस0सी0एस0पी0 में कृषकों के लिए प्राविधानित धनराशि रू0–1,00,00,000/– (रूपया एक करोड़ मात्र) के सापेक्ष धनराशि रू0–50,00,000/– (रू0–पचास लाख मात्र) का आवंटन संलग्न विवरण के अनुसार महामहिम राज्यपाल आपके निस्तारण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है :–

(1) प्रश्नगत अवमुक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुसूचित जाति लाभार्थियों के लिए एस0सी0एस0पी0 मानक के अनुरूप व्यय की जायेगी।

(2) यह धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के अन्तर्गत पठारी क्षेत्रों में लघु सिंचाई निर्माण कार्य योजना में एस0सी0पी0 में कृषकों को अनुदान उपलब्ध कराये जाने पर व्यय हेतु है। अवमुक्त धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल एवं शासन के अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम, अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय।

(3) अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेशों तथा शासन के अस्थाई नियमों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाय।

(4) आपको पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय तथा व्यय अवमुक्त धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। व्यय में की गयी किसी भी

अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगें।

(5) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि अवमुक्त धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप एवं विस्तृत लेखा शीर्षक अंकित किया जाय और प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य लिखा जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुंकिग में बाधा होगी। अवमुक्त धनराशि में यदि किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो उसकी सूचना मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से शासन को दी जायेगी।

(6) प्रत्येक बोरिंग के साथ ही कम से कम 25 पेड़ किसान स्थानीय स्तर पर अपने लिए उपयोगी समझे, लगाये जाने की भी व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।

(7) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेशसंख्या--बी--1--1195/दस--16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) अवमुक्त धनराशि के समक्ष किए गये व्यय की सूचना को निर्धारित रूप पत्रों में मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग को आगामी माह की 05 तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाये। तदोपरान्त संकलित व्यय की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(9) तत्सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010--11 के अन्तर्गत अनुदान संख्या--83 के अधीन "लेखा शीर्षक--2702 लघु सिंचाई--आयोजनागत--80--सामान्य--789--अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना--04--पठारी क्षेत्रों की लघु सिंचाई योजना (जिला योजना)--27--सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा ।

2. यह आदेश वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951/दस–2010–231/2010, दिनांक 26–3–2010 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(भवनाथ)
विशेष सचिव।

संख्या– 417 (1)/26–ब0प्र0–2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकादारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– महालेखाकार, (लेखा–परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3– प्रमुख सचिव/सचिव, लघु सिंचाई विभाग।
4– मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5– सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त।
6– सम्बन्धित जिलाधिकारी ।
7– सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला अधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी ।
8– सम्बन्धित सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग ।
9– सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी ।
10– राज्य योजना आयोग अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन।
11– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2/3, उत्तर प्रदेश शासन।
12–वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
13–निदेशक, सूचना एवं विशेष कार्याधिकारी सूचना, मुख्यमंत्री (श्री जमील अख्तर)।
14–एन0आई0सी0 की प्रति।
15–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या 4101/28-अ-2-/2010 दिनांक, 11 मई, 2010 का संलग्नक

ख्या /ल0सिं0/बजट-scsp/tsp/10-11/दिनांक अप्रैल ,2010का संलग्नक।

चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के अन्तर्गत अनुदान सं0-83 के अधीन लेखाशीर्षक 2702-लघु सिंचाई-आयोजनागत-80-सामान्य-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-04-पठारी क्षेत्रों की लघु सिंचाई योजना (जिला योजना)-27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रस्तावित अवमुक्त धनराशि का विवरण।

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	जनपद	नियोजन विभाग द्वारा सूचित परिव्यय	बजट प्राविधान	प्रस्तावित अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5
1	मुरादाबाद	5.00	1.00	0.50
2	ज्योतिबाफूले नगर	2.00	1.00	0.50
3	आगरा	2.00	1.00	0.50
4	फिरोजाबाद	5.00	1.00	0.50
5	बरेली	2.00	1.00	0.50
6	कानपुर नगर	3.00	1.00	0.50
7	कानपुर देहात	2.00	1.00	0.50
8	इटावा	1.00	0.00	0.00
9	औरैया	10.00	3.00	1.50
10	कन्नौज	70.00	18.00	9.00
11	फर्रुखाबाद	2.00	1.00	0.50
12	इलाहाबाद	5.00	1.00	0.50
13	कौशाम्बी	30.00	8.00	4.00
14	फतेहपुर	25.00	7.00	3.50
15	सुल्तानपुर	4.28	1.00	0.50
16	झांसी	10.00	2.00	1.00
17	जालौन	25.00	7.00	3.50
18	ललितपुर	95.00	25.00	12.50
19	हमीरपुर	65.00	17.00	8.50
20	चित्रकूट	15.00	3.00	1.50
	योग-	**378.28**	**100.00**	**50.00**

(रूपया पचास लाख मात्र)

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव